न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 101/2018

अनवान :

1. महावीर पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासी अनुपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र नानकराम जाति अहीर निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
2. कमला
3. सन्तोष
4. कृष्णा

} पुत्रिया रामचन्द्र जाति अहीर निवासीगण अनुपशहर तहसील भादरा।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

–असल प्रतिवादीगण

6. रणसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
7. राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
8. मदनसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
9. बलबीरसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासी अनुपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरारहक व रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा : वादी

निर्णय दिनांक : 18·5·18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अनुपशहर के खाता सं0 349/330 के खसरा सं0 578 की 0.911 है0, खसरा सं0 582 की 1.201 है0 खसरा सं0 584 की 0.253 है0 खसरा सं0 745 की 6.791 है0 खसरा सं0 746 की 32.375 है0 खसरा सं0 748 की 3.667 है0 खसरा सं0 755 की 5.438 है0 खसरा सं0 756 की 6.412 है0 खसरा सं0 757 की 8.916 है0 खसरा सं0 758 की 13.089 है0 खसरा सं0 767 की 5.059 है0, 768 की 0.506 है0, 769 की 0.190 है0 खसरा सं0 770 की 1.543 है0, खसरा सं0 772 की 1.416 है0 खसरा सं0 773 की 9.485 है0 खसरा सं0 1006/759 की 1.328 है0 कुल 98.580 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जो पहले वादी दादा नानकराम की खातेदारी हुआ करती थी। नानकराम के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रामचन्द्र के नाम से महज कर्ता खानदान होने के कारण विरासतन दर्ज हो गई थी। वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होने के कारण उसमें वादी का जन्म से हक एवं हिस्सा निहित है जिसमें प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने अपना जो भी हक हिस्सा बनता था वह वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण सं0 6

Rw

सहायक कलक्टर भादरा (हनु.)

ता 9 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर दिया। परन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी कुल वाद भूमि प्रतिवादी रामचन्द्र के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 5 को तर्क किया गया। तरतीबी प्रतिवादी सं0 6 रणसिंह ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी महावीर के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम अनूपशहर खाता सं0 349/330 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम अनूपशहर सम्वत् 2031 से 34 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम अनूपशहर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम अनूपशहर सम्वत् 2031 से 34 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है उसमें वाद भूमि वादी के दादा नानकराम पुत्र तुलछाराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं सरपंच ग्राम पंचायत अनूपशहर ने वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में रामचन्द्र के वारिसान में पत्नी सरस्वती(फौत), तीन पुत्रियां कमला, सन्तोष, कृष्णा व पांच पुत्र महावीर सिह, रणसिंह, राजेन्द्रसिंह, मदनसिंह, बलबीरसिंह होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अनुपशहर के खाता सं0 349/330 के खसरा सं0 578 की 0.911 है0, खसरा सं0 582 की 1.201 है0 खसरा सं0 584 की 0.253 है0 खसरा सं0 745 की 6.791 है0 खसरा सं0 746 की 32.375 है0 खसरा सं0 748 की 3.667 है0 खसरा सं0 755 की 5.438 है0 खसरा सं0 756 की 6.412 है0 खसरा सं0 757 की 8.916 है0 खसरा सं0 758 की 13.089 है0 खसरा सं0 767 की 5.059 है0, 768 की 0.506 है0, 769 की 0.190 है0 खसरा सं0 770 की 1.543 है0, खसरा सं0 772 की 1.416 है0 खसरा सं0 773 की 9.485 है0 खसरा सं0 1006/759 की 1.328 है0 कुल 98.580 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र के नाम दर्ज 573–1/6 हिस्सा से प्रतिवादीसं0 1 रामचन्द्र का नाम

कलमजन कर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण सं0 6 ता 9 पांचों बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने अपना जो भी हक हिस्सा बनता था वह वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण सं0 6 ता 9 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलेक्टर (फर्स्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 101/2018

अनवान :

1. महावीर पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासी अनुपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र नानकराम जाति अहीर निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
2. कमला
3. सन्तोष
4. कृष्णा

पुत्रिया रामचन्द्र जाति अहीर निवासीगण अनुपशहर तहसील भादरा।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

-असल प्रतिवादीगण

6. रणसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
7. राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
8. मदनसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासी अनुपशहर तहसील भादरा।
9. बलबीरसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासी अनुपशहर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वादं वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अनुपशहर के खाता सं0 349/330 के खसरा सं0 578 की 0.911 है0, खसरा सं0 582 की 1.201 है0 खसरा सं0 584 की 0.253 है0 खसरा सं0 745 की 6.791 है0 खसरा सं0 746 की 32.375 है0 खसरा सं0 748 की 3.667 है0 खसरा सं0 755 की 5.438 है0 खसरा सं0 756 की 6.412 है0 खसरा सं0 757 की 8.916 है0 खसरा सं0 758 की 13.089 है0 खसरा सं0 767 की 5.059 है0, 768 की 0.506 है0, 769 की 0.190 है0 खसरा सं0 770 की 1.543 है0, खसरा सं0 772 की 1.416 है0 खसरा सं0 773 की 9.485 है0 खसरा सं0 1006/759 की 1.328 है0 कुल 98.580 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 रामचन्द्र के नाम दर्ज 573-1/6 हिस्सा से प्रतिवादीसं0 1 रामचन्द्र का नाम कलमजन कर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण सं0 6 ता 9 पांचों बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने अपना जो भी हक हिस्सा बनता था वह वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण सं0 6 ता 9 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.5.18 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)